

अधीनस्थ
दफ्तरीय
आदेश
राजस्थान उच्च न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

आसीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

क्रमा नम्बर:-81/2019 प्रार्थना पत्र

श्रीमति सीता पत्नि गिरधारी लाल बैरवा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीया

बनाम

श्री लादूलाल पिता गोपीलाल बैरवा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्रीमति कमला पत्नि लादूलाल बैरवा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री जमनालाल पिता बालू बैरवा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री देबीलाल पिता गोपीलाल बैरवा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-6.5.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1183/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के सीमा हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंगीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे प्रार्थना पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 8.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काश्त के समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में अग्रसर रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1183/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

के किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, को 300/-रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की /उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को स्तु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

